



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 आश्विन 1946 (श०)

संख्या - 33 राँची, बुधवार

16 अक्टूबर, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 483- 489

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग****अधिसूचना**

29 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-10/2022- 27095 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती नूतन मिंज, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 द्वारा नियुक्त (गृह जिला-गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	NUTAN MINZ- (JHK/JAS/N129)	DC OFFICE SIMDEGA	<u>THETHAI</u> <u>TANGAR</u> <u>BLOCK</u> <u>.SIMDEGA</u> Block Development Officer	08/07/2022	08/07/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 सितम्बर, 2024

सं०सं०-02/नि०सं०-12-02/2021 का. 5669--श्री कुमार हर्ष, झा०प्र०से० कार्यपालक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 11.04.2024 से 30.06.2024 तक (कुल 81 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-03/2021-27097 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री विवेक कुमार, षष्ठम बैच (गृह जिला-पलामू) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	VIVEK KUMAR- (110073395530)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	GOILKERA BLOCK ,WEST SINGHBUM Block Development Officer	17/08/2020	17/08/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

संख्या-13/ई०-105/2018-5814--सी०, श्री मानविन्दर सिंह भाटिया, भा०पु०से० (1993), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत पुलिस पुलिस महानिदेशक वितनमान-Level-16 of Pay Matrix} की कोटि में इनसे कनीय श्री मुरारी लाल मीणा, भा०पु०से० (1993) को विभागीय अधिसूचना सं०-5797, दिनांक- 01.10.2024 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

संख्या-13/ई०- 105/2018-5797--सी०, भारतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक कोटि (पे लेवल-15) के निम्नलिखित पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना सं०-5796, दिनांक-01.10.2024 द्वारा पुलिस महानिदेशक कोटि में IPS (Cadre) Rules, 1954 के नियम-4 (2) में निहित प्रावधान के आलोक में नव सृजित अस्थायी संवर्गीय पदों के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक कोटि (पे लेवल-16) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	श्री राज कुमार मल्लिक भा०पु०से०, (1992) (सेवानिवृति की तिथि- 31.01.2025)	अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची	पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची
2	श्री मुरारी लाल मीणा, भा०पु०से० (1993) (सेवानिवृति की तिथि- 31.12.2024)	अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड उर्जा निगम लिमिटेड, राँची।	पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची।

1
2
3
4

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

संख्या-13/ई०-105/2018-5796--सी०, पुलिस महानिदेशक कोटि में रिक्ति के अनुपलब्धता के कारण, प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूर्ण करने के उपरांत भी भा०पु०से० के झारखण्ड संवर्ग के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में पदस्थापित वरीयतम दो पदाधिकारियों के महानिदेशक कोटि में प्रोन्नति पाये बिना सेवानिवृत्त होने की संभावना एवं प्रोन्नति में उत्पन्न Stagnation को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत IPS (Cadre) Rules, 1954 के नियम-4 (2) में निहित प्रावधान के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के झारखण्ड संवर्ग के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक कोटि में पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची, पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची एवं पुलिस महानिदेशक, निगरानी-सह-सुरक्षा जे०यू०भी०एन०एल०, झारखण्ड, राँची के हैं। पद को अतिरिक्त अस्थायी संवर्गीय पद के रूप में सृजित किया जाता है।

उक्त नव सृजित अस्थायी संवर्गीय पद के विरुद्ध प्रोन्नत होने वाले पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा दो वर्ष, जो भी पहले हो, के पश्चात स्वतः समाप्त समझा जाएगा तथा उक्त अवधि तक अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड राँची, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची एवं अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी-सह-सुरक्षा) जे० यु०भी०एन०एल०, झारखण्ड राँची का पद Abeyance में रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th October, 2024

Memo No.-10/C.B.1.-427/2024-5821--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act. 1946 (25) of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter No-511/CO-6/2024, dated-26.08.2024 of the DIG of Police /Head of Branch, CBI, ACB. Ranchi for registration of Preliminary Enquiry/ Regular Case against suspect persons, namely, (i) Sh. Deepak Kumar Srivastava, Director. IIM. Ranchi, (ii) Sh. Ambuj Bhairavanath Anand, Professor, IIM, Ranchi, (iii) Sh. Anand, Professor, IIM, Ranchi, (iv) Sh. Narottam Sahoo, Financial Advisor & Chief Finance Officer, IIM Ranchi, (v) Sh. Amit Sachan, Professor, IIM. Ranchi and (vi) Sh. Ajay Kumar, Administrative Officer- Purchase, IIM. Ranchi and others unknown for committing offence under the Prevention of Corruption Act. 1988 (as amended in 2018) in the matter of award of contract to M/s SIS Limited, New Delhi for deployment of security guards at IIM. Ranchi and any other offence(s) that may come into light during enquiry/investigation of case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Umashankar Prasad Pal,

Under Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

1. **संख्या-13/ई०-105/2018-5798-सी०**, श्री मुरारी लाल मीणा, भा०पु०से० (1993), पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (निगरानी-सह-सुरक्षा) जे०यु०भी०एन०एल०, झारखण्ड राँची के प्रभार में रहेंगे ।

2. **संख्या-13/ई०-105/2018-5799-सी०**, श्री पियूष पाण्डेय, भा०पु०से० (2014), समादेष्टा, झा०स०पु०-10, होटवार, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2024

संख्या-18/विविध-(7)-08/2018 - 5791--विभागीय अधिसूचना संख्या-5190, दिनांक-29.06.2016 द्वारा राज्य में किसी अपराध के कारण हुई हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित को अपेक्षित पुनर्वास के लिए प्रतिकर के प्रयोजनार्थ झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2016 लागू है ।

उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 (च) में उल्लेखनुसार राज्य समिति निम्नवत गठित किया जाता है-

- | | |
|---|---------|
| 1. निदेशक, अभियोजन निदेशालय | अध्यक्ष |
| 2. उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय | सदस्य |
| 3. JHALSA में पदस्थापित उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी | सदस्य |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव,
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड,
राँची ।